Full Title of the Project : Diversion of 0.0098 Ha. Forest land for Shree Ram Dharm Kanta and saw mill on Buchawas to Pathera road at Village-Pathera under Forest Division and District Mahendergarh, Haryana.

File No. : FP/HR/Approach/147113/2021

Date of Proposal : 11-09-2021

प्रमाण–पत्र

निम्न हस्ताक्षरी द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि जाता है कि पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 9HRB204/2021-CHA dated 04-03-2022 द्वारा जारी सैधान्तिक स्वीकृति के बिन्दु 2(A) में अंकित शर्तो की अक्षरशः अनुपालना कि जाएगी।

वन मण्डल अधिकारी
Divisional Forest Officer
महेन्द्रगढ़
Mahendergarh

4.11.23

4/10/23

Full Title of the Project : Diversion of 0.0098 Ha. Forest land for Shree Ram Dharm Kanta and saw mill on Buchawas to Pathera road at Village- Pathera under Forest Division and District Mahendergarh, Haryana.

File No. : FP/HR/Approach/147113/2021

Date of Proposal : 11-09-2021

अण्डरटेकिंग

मैं महावीर प्रसाद यह अण्टरटेकिंग देता हूं कि मेरे द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 9HRB204/2021-CHA04-03-2022 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु 2(B) में अंकित सभी शर्तो की अक्षरशः अनुपालना कि जाएगी।

Divisional Forest Officer
Mahendergarh

महावीर प्रसाद

199 15

vi. सक्षम प्राधिकारी से FRA प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
ii. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष नहीं काटा जाएगा।
iii. **राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।**
iv. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
v. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
vi. जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
vii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
viii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
ix. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
x. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
xi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतू समय – समय पर लगाई जा सकती है।
xii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

4 उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। <u>केन्द्रीय</u>

Mahal

महावीर प्रशाद सोलंकि
बाढ़ेड़ा त0 कनीना जिला म०ग०

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि जमा करवाई जाए।

ii. As violation is reported by State Government, a penalty as per Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarification), 2019, 1.21 (ii) a is imposed, which inter-alia stipulates "the penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposit is made".

iii. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजैंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

iv. प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगी ।

v. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि compensatory levies (सीए लागत, एनपीवी आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से केवल उपयुक्त बैंक जमा किए जाए। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Mahavir

महाबीर प्रशाद रॉयल

बाघेड़ा त० कनीना जिला म...